

[Logo]

[Logo]

सन्दर्भ: GJC/KP\_Circular/04/85/2007-08/7329

17 नवम्बर, 2008

## परिपत्र - 04

**विषय: 2 सालों के लिए वेनेजुएला से अपरिष्कृत हीरों के आयात पर लगे बैन के विषय में अधिसूचना।**

यह ऊपर दिए गये विषय से संबंधित किम्बर्ली प्रोसेस के अध्यक्ष से मिले संपर्क के संदर्भ और रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद जो भारत में केपीसीएस का एक आयात/निर्यात प्राधिकरण है द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2008 को जारी किये गये परिपत्र सं. 3 से आगे की बात से संबंधित है।

3-6 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में हुई प्लेनरी सभा में केपी ने ध्यान दिया कि वेनेजुएला ने “स्वेच्छा से 2 सालों तक किम्बर्ली प्रोसेस से अलग होने और अपने हीरों के निर्यात के प्रमाणन को रोकने का निर्णय लिया है” और इसी लिए अब अपरिष्कृत हीरों का निर्यात और आयात नहीं करेगा।

उपलिखित को ध्यान में रखते हुए, अपरिष्कृत हीरों (एचएस कोड 7102.10, 7102.21 या 7102.31) का कोई भी शिपमेंट केपीसीएस प्रतिभागियों, भारत सहित, द्वारा वेनेजुएला में आयात नहीं होगा या वेनेजुएला से निर्यात होगा।

वेनेजुएला द्वारा जारी किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेट वेनेजुएला से आयात किये गये अपरिष्कृत हीरों के साथ स्वीकार/समर्थित नहीं किया जाएगा और वेनेजुएला को निर्यात करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से अगले नोटिस मिलने तक केपी सर्टीफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।

सभी संबंधित लोगों से निवेदन है कि सख्त पालन करने के लिए उपलिखित को ध्यान में रखे।

[Signature]

सब्यासची रे  
कार्यकारी निदेशक

**रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद**

(भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

File\_16\_17027\_KP\_circular\_reg\_Venezuela\_Translated

टॉवर बी, बीई-1010ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई  
400 051. (भारत)

फोन: 91-22-2654 4600 फैक्स: 91-22-26544717 CIN: U99100MH1966GAP013486

ई-मेल: [kp@gjepcindia.com](mailto:kp@gjepcindia.com)/[ho@gjepcindia.com](mailto:ho@gjepcindia.com) वेबसाईट:<http://www.gjepc.org>